Dainik Jagran - News - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Favorites
Links Address http://www.jagran.com/news/national.aspx?id=2981109 Go
Google Go Bookmarks PageRank 8966 blocked Check AutoLink AutoFill Send to Settings

बेवफा पतियो की अब खैर नही

नई दिल्ली। अगर कोई महिला नाजायज रिश्ते मे लिप्त पाई जाती है तो भी उसे व्यभिचार के लिए दंडित नही किया जा सकता। अगर महिला आयोग की चली तो साथ साथ ही महिलाओ को अब अपने बेवफा पतियो को दंडित करने का कानूनी हथियार हासिल हो सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने हाल ही मे इस आशय की सिफारिश केंद्र सरकार से की है।

आयोग के अनुसार, ऐसी महिलाओ को कानून की नजर मे पीडित मानना चाहिए। चाहिए। इस क्रम मे एनसीडब्ल्यू ने आईपीसी की धारा 497 मे किसी भी तरह के संशोधन के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया है ताकि नाजायज रिश्तो की जाल मे फंसी फंसी महिलाओ को व्यभिचार के लिए दोषी न ठहराया जा सके। साथ ही आयोग ने सीआरपीसी की धारा 198 मे संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इससे पत्नियां पत्नियां अपने बेवफा पतियो को उनके व्यवहार के लिए दंड दिलाने मे सक्षम हो सकेगी सकेगी।

केन्द्र ने पिछले दिनो आयोग से धारा 497 व 198 मे संशोधन पर अपनी राय देने देने को कहा था। आयोग ने उसी क्रम मे धारा 497 मे संशोधन के प्रस्ताव को ठुकरा ठुकरा दिया। इस धारा के लिए प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, नाजायज रिश्ते वाली महिलाओ के लिए व्यभिचार के मामले मे दंड का प्रावधान प्रस्तावित है। आयोग ने अपनी सिफारिश सरकार को भेज दी है। उसने कहा है कि महिला के सामाजिक रूप रूप से अपेक्षाकृत कम सशक्त होने से आयोग भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497 मे किसी तरह के संशोधन के पक्ष मे नहीं है। आयोग ने हालांकि सीआरपीसी की धारा 198 (2) मे उचित संशोधन की सिफारिश की है जो फिलहाल गैर भरोसेमंद पति के खिलाफ उसकी पत्नी को उसके व्यवहार के लिए दंड दिलाने से से रोकता है। आयोग ने सरकार को बताया है कि पत्नी चूंकि पहले ही आईपीसी की धारा 498ए जैसे अन्य कानूनी प्रावधानो के तहत अपने पति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है इसलिए इस बात का कोई कारण नहीं है कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के तहत उसके खिलाफ अभियोजन चलाने से उसे वंचित रखा जाए।

अन्य समाचार

'पीएम के दूत की लाहौर यात्रा की खबर गलत'

'बांग्लादेश से आतंकी शिविरों का मुद्दा उठाएगा भारत'

'एफआईआर में सभी विवरण का होना जरूरी नहीं'

घाटी में आतंकी हमले में दो जवान शहीद

असम में पाइपलाइन में विस्फोट

'तीर्थयात्रा वीजा पर ईरान गए थे धमाकों के अभियुक्त'

बैलों के काटने पर प्रतिबंध के आदेश पर रोक

'पूर्व राजवंश का खजाना प्रदेश की जनता का'

बाबा आम्टे 93 वर्ष के हुए

ददुआ पुलिस के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेगा

1 2 3 4 5

Internet